भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3856

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति

3856. श्री विष्णु दयाल रामः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

श्री मुकेश राजपूतः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) क्या एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट की उत्पादन लागत पर कम से कम पचास प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश का पालन किया जा रहा है;

(ग) स्वामीनाथन समिति की सभी सिफारिशों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी निर्धारित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एमएसपी के प्रावधान के लिए कोई कानूनी गारंटी है; और

(च) यदि नहीं, तो किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से संबंधित जानकारी का विवरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे https://agriwelfare.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

(ख) से (घ): सरकार हर साल राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश में 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

2004 में प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) नेअन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को प्रभाव में लाने के लिए,सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार,सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी को, भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ निर्धारित किया गया है।

(ङ.) एवं (च): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई, 2022 को एक समिति गठित की गई है। समिति के विचाराधीन विषयों में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने के लिए व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है ताकि किसानों को घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करते हुए उनकी उपज का अधिक मूल्य देना सुनिश्चित किया जा सके।

*****